(995)

समक्ष में माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

पुनरीक्षण क्रमांक R-2700-II/14 सन् 2014.
नवीन प्रकरण - 2700/2014

अलोक चतुर्वेदी तनय स्व. श्री बाबूराम चतुर्वेदी
आयु 55 वर्ष निवासी टौरिया हाऊस, जवाहर रोड़
छतरपुर तह.व जिला–छतरपुर (म0प्र0)...आवेदक

श्री. राजेन्द्र खरे अभि.
द्वारा, आज दि. 25-8-14 को
प्रस्तुत

बनाम

(1) सत्यनारायण तनय छोटेलाल गुवरेले, आयु 76 वर्ष
निवासी ग्राम बगौता, खेलग्राम के पीछे,
तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0
(2) श्रीमती ओरी सुनारानी पत्नी कृष्ण देवत सुनारानी
(2) म0प्र0 शासन नि0 ग्राम बगौता तह. व जिला छतरपुर ...अनावेदकगण

25-8-14
राजस्व मण्डल ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 12/07/2010
जो योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसील छतरपुर (म.प्र.)
द्वारा प्र0क्र0 23/अ–12/09–10 में पारित किया।
अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959.

श्रीमान्

आवेदक सादर निम्नलिखित निवेदक प्रस्तुत करता है:–

(1) यह कि आवेदक का संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम बगौता तहसील व जिला छतरपुर (म0प्र0) स्थित भूमि खसरा क्रमांक 518 एकत्र क्षेत्रफल 2.141 हेक्टर की स्वामिनी एवं आधिपत्यधारिणी श्रीमती श्यामवाई थी जिन्होने उक्त भूमि को अनेक व्यक्तियों को विक्रय की परिणाम स्वरूप उक्त भूमि के वर्तमान में 13 (तैरह) बटांक, भूमिधारियों के राजस्व अभिलेख में दर्ज है। अवलोकनार्थ मूल भूमि स्वामी एवं वर्तमान भूमि स्वामी के नाम की प्रविष्टियां दर्शाने वाले खसरा की छाया प्रतियां सलंग्न है।

(2) यह कि अनावेदक क्रमांक 1 सत्यनारायण गुवरेले द्वारा दिनांक 30/06/67 को जरियें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, श्यामवाई से 0.25 डेसीमल भूमि की 165 x 66 फुट क्रय की थी जिसे ग्राम पटवारी द्वारा मनमाने रूप से धारा 70 म0प्र0 भू.रा. सं. 1959 के प्रावधानों के विपरीत खसरा क्रमांक 518/12 एवं 518/13 के में खसरा में लेख कर दिया जिसके आधार पर अनावेदक क्रमांक0 सत्यनारायण गुररेले द्वारा दिनांक 7/5/10, जरिये चालान दिनांक 6/5/10 के 50/– भारतीय स्टेट बैंक छतरपुर में जमा कर चालान की प्रति सहित म0प्र0 भू.रा.सं 1959 की धारा 129 के अन्तर्गत सीमांकन एव लाल स्याही से नक्शा में तरमीन किए जाने बावत् आवेदन पत्र योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समाक्षं प्रस्तुत किया।

जिसके माध्यम से ख.क्र. 518/12, 518/13 एकत्र रकवा 0.101 आरे के संबंध में विक्रय पत्र दिनांक 30/3/1967 के आधार पर वांछित सहायता चाही परिणाम स्वरूप प्रकरण सीमांकन के हेड अ–12 में दिनांक 7/5/10 को ही दर्ज किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन हेतु परवाना जारी करने का आदेश प्रसारित किया गया।

(3) यह कि राजस्व निरीक्षक को स्पष्ट रूप से सीमांकन परवाना जारी करने का आदेश पारित करते समय आगामी कोई तिथि नियत नहीं की गई और न ही राजस्व निरीक्षक को कोई परवाना ही जारी किया गया फिर राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 23/05/10 को एक पंचनामा अन्य एक और राजस्व निरीक्षक व पटवारी के सहयोग से सरहद्दी कास्तकारों की सूचना दिए बगैर अज्ञात व्यक्तियों के मात्र हस्ताक्षरों सहित तैयार कर तथा पेन्सिली तरमीम नक्शा में कर प्रतिवेदन दिनांक 31/5/10 योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–2700/2014 जिला–छतरपुर

आलोक चतुर्वेदी विरूद्ध सत्यानारायण व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
12–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री ए.के. अग्रवाल अभिभाषक उपस्थित । 3. यह निगरानी तहसील छतरपुर, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 23/अ–12/2009–10 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 12–07–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 08–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 12/3/19 सदस्य	